उत्तर प्रदेश यूनिट से संबंधित निष्प्रयोज्य घोषित चार पहिया वाहनो की नीलामी के संबंध में।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केन्दीय नारकोटिक्स ब्यूरो, कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, बी–40, मंदिर मार्ग, महानगर, लखनऊ–226006 की निम्नलिखित निष्प्रयोज्य घोषित की चुकी शासकीय वाहनों की बिक्री "जहॉ है जैसी है" हालत में निविदा आमंत्रण तथा खुली बोली के द्वारा की जायेगी ।

क्र0सं0	वाहन का विवरण	रजिस्ट्रेशन नं0/माडल	वर्तमान में जहॉ वाहन रखा है
01	अम्बेस्डर कार	UP 32/AT 4446 YEAR-2003	कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, बी–40, मंदिर मार्ग, महानगर, लखनऊ
02	मारूती वैन	UP 32/X 8724 YEAR-1999	कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, बी–40, मंदिर मार्ग, महानगर, लखनऊ
03	टाटा सूमो	UP 32/Y 9860 YEAR-1999	अफीम कोठी परिसर, कार्यालय जिला अफीम अधिकारी, बाराबंकी
04	स्वराज माज़दा	UP 32/A 0291 YEAR-1989	अफीम कोठी परिसर, कार्यालय जिला अफीम अधिकारी, बाराबंकी

नियम व शर्तेः–

7. वाहन का निरीक्षण कार्यालय दिवसों में सुबह 10.30 से 17.30 बजे तक दिनांक 15.07.2021 तक उपरोक्तानुसार दिये पते पर किया जा सकता है ।

8. प्रत्येक वाहन हेतु अलग–अलग निविदा की प्रत्याभूति राशि रू0 5000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर के बिना निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी । धरोहर राशि अधीक्षक, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, लखनऊ के पक्ष में आहरित होना चाहिए । निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति खुली बोली में भी शामिल हो सकते हैं ।

9. सीलबंद निविदा कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, बी–40, मंदिर मार्ग, महानगर, लखनऊ में नियंत्रण कक्ष पर रखें सीलबंद टेण्डर बाक्स में कार्यालय दिवसों में दिनांक 16.07.2021 तक सुबह 09.30 से 18.00 बजे के बीच में जमा किया सकता है ।

10. सीलबंद निविदाये कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, बी–40, मंदिर मार्ग, महानगर, लखनऊ में खुली बोली लगने के पश्चात गठित समिति के समक्ष निविदाकर्ताओं तथा खुली बोली में शामिल व्यक्तियों की उपस्थिति में दिनांक 20.07.2021 को दोपहर 12.00 बजे खोली जायेगी । निविदा अपने निर्धारित प्रारूप में ही स्वीकार की जायेगी । निविदा निर्धारित प्रारूप में न होने पर रद्द की जा सकती है। खुली बोली या निविदा में अधिकतम राशि लगाने वाला ही वाहन क्रय करने का पात्र होगा ।

11. न्यूनतम निर्धारित मूल्य से कम प्राप्त निविदा या बोली कम लगने पर सम्पूर्ण प्रक्रिया को निरस्त करने या अन्य निर्णय का अन्तिम अधिकार उप नारकोटिक्स आयुक्त, बी–40, मंदिर मार्ग, महानगर, लखनऊ का रहेगा ।

12. उच्चतम निविदा या खुली बोली लगाने वाले व्यक्ति को वाहन 15 दिन के अन्दर प्रत्याभूति राशि के अलावा शेष राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट /पे आर्डर जमा कर वाहन उपरोक्त दिये गये स्थान से उठवाना होगा । यदि वह ऐसा नही करता है तो उसकी प्रत्याभूति राशि जब्त कर उसके बाद अन्य व्यक्ति को अवसर दिया जायेगा ।

13. उपरोक्त शासकीय वाहनों की बिक्री से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यालय समय में निम्नलिखित नम्बरों पर 0522– 2322208, 0522–2329616, 05248–224812, 222370, 225166 पर सम्पर्क किया जा सकता है ।

14. निविदा का प्रारूप निम्नलिखित होगा : 1 निविदाकर्ता का नाम 2. पिता का नाम 3. स्थायी पता 4. मोबाईल/फोन नं0 5. वाहन जिसके लिए निविदा डाली जा रही है । 6. धनराशि जिस पर वाहन क्रय किया जाना है । 7. आधार कार्ड की छायाप्रति 8. संलग्न डिमाण्ड ड्राफ्ट /पे आर्डर पूर्ण विवरण सहित ।

उप नारकोटिक्स आयुक्त
लखनऊ